(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि उन्हें कुछ गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों (एन०बी०एफ०सी०) के विरुद्ध जमाकर्ताओं से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो परिपक्वता पर उनकी जमाराशियों को चुकाने में असफल रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास जनता की जमाराशियों की उन वास्तविक राशि के बारे में कोई सूचना नहीं है जिसे एन०बी०एफ०सी० चुकाने में असफल रही है। कम्पनी विधि बोर्ड ने सूचित किया है कि कुल 34153 आवेदनों में से, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 जिसमें कम्पनियों को जमाराशियों की चुकौती करने के लिए निर्देश दिया गया है, की धारा 45 घक के अन्तर्गत 01.4.98 से 31.12.98 की अवधि के दौरान 25,734 आवेदनों का निपटारा किया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबन्धों के अन्तर्गत बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों को जनता से जमा राशियां स्वीकार करने तथा उनके कार्यकरण के अन्य पहलुओं के संबंध में निदेश जारी किये हैं ताकि एन०बी०एफ०सी० का सुदृढ़ आधार पर विकास सुनिश्चित हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने विधिन्न सांविधिक प्रावधानों तथा स्थल पर निरीक्षण, स्थलेत्तर निगरानी तथा बाजार आसूचना प्रणाली के माध्यम से उसके अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों की अनुपालना की निगरानी की प्रणाली विकसित की है। परिपक्वता पर जमाराशियों की वापसी अदायगी करने में असफल रहने समेत किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी के कार्यकरण में जब कभी भी कोई अनियमितता प्रकाश में आती है, उस पर उचित कार्रवाई की जाती है। परिपक्व जमाराशियों की वापसी अदायगी/जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान में बार-बार चूक किए जाने पर या कम्पनी के दिवालिया होने पर जिससे कि जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचे, ऐसी अवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों को निषेधात्मक आदेश जारी किए जाते हैं। ऐसे निषेधात्मक आदेशों के अधीन, गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी को जमाराशियां स्वीकार करने और उसकी आस्तियों के स्वत्वाधिकार अंतरण पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। स्थिति की आवश्यकतानुसार गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें भी दर्ज की जाती है। बैंक ने चूक करने वाली ऐसी कई कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। जनवरी 1997 से 2 नवम्बर, 1998 तक, 41 गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के संबंध में निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, 5 गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध समापन याचिका फाइल की गई है तथा चूक करने वाली 8 कंपनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(1क) के अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए प्राप्त हुए कई आवेदनों को जमाराशियों की वापसी अदायगी में चूक, असंतनोषजनक वित्तीय स्थिति, अप्रभावशाली प्रबंधन आदि जैसे आधारों पर रद्द कर दिया गया है जिससे गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां अपना कारोबार करने के अयोग्य हो गई हैं।

Refund of tax to Tendu Leaf Traders

2253. SHRI LAKHIRAM AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the amount of Tax as T.D.S. (Tax Deduction at Source) deducted by the Income-tax Department from the Tendu leaf traders during the last three years; and

(b) the amount of Tax as T.D.S. refunded to the Tendu leaf traders after the income tax assessment during the last three years alongwith the interest paid (year-wise)?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARATHANAN): (a) and (b) The information is not readily available. The same is being collected and will be laid on the table of the House.

Non Official Directors on the Board of Banks

2254. MISS FRIDA TOPNO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that since long there is no appointment of non-official Directors in the Boards of Nationalised Banks;

(b) if so, whether Government have any plans for filling-up vacancies to Boards of nationalised Banks; and

(c) if so, how many such vacancies are likely to be filled-up and when?